25

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पच्चीसवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

.....मार्च, 2023/.....फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iv)
अध्याय -एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय –दो	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	19
अध्याय –तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	33
अध्याय –चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	34
अध्याय –पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	37

परिशिष्ट

एक	दिनांक 16.03.2023 को हुई प्राक्कलन समिति की 16th बैठक का कार्यवाही सारांश	48
दो	प्राक्कलन समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	50

<u>प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना</u>

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट- सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
7. श्री पी. पी. चौधरी
8. श्री पी. सी. गद्दीगौदर
9. श्री निहाल चन्द चौहान
10. डॉ. संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री जुएल ओराम
14. श्री के. मुरलीधरन
15. श्री दिलीप शइकीया
16. श्री कमलेश पासवान
17. डॉ. के. सी. पटेल
18. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर
19. श्री विनायक भाऊराव राऊत
20. श्री अशोक कुमार रावत
21. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
22. श्री राजीव प्रताप रूडी
23. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री पिनाकी मिश्रा
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
29. श्री श्याम सिंह यादव
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

सचिवालय

1.	श्रीमती अनिता भट्ट पांडा	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी.	निदेशक
3.	श्री कुलदीप पेगु	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, गृह मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा'' विषय के संबंध में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. प्राक्कलन समिति के इस 13वें प्रतिवेदन को 4 अप्रैल, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने 03 अक्तूबर, 2022 को 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए अपने उत्तर भेजे हैं। इस प्रारूप प्रतिवेदन को समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 को विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

3. प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;

16 मार्च, 2023
25 फाल्गुन,1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन गृह मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा" विषय पर तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. तेरहवां प्रतिवेदन दिनांक 04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 15 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की गई कार्रवाई उत्तर गृह मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को मुख्य रूप से निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है::-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है::

सिफारिश पैरा सं. 3,4,6,7,8,10,11,12,14 और15 **कुल: 10**

(अध्याय दो)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: शून्य

कुल: 00

(अध्याय तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफारिश सं. 01 और 13 **कुल:02**

(अध्याय चार)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश सं. 2,5,9 **कुल: 03**

(अध्याय पांच)

4. समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्यवाही टिप्पण और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों, जिनके के संबंध में सरकार ने

अंतरिम उत्तर दिए हैं, के अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह माह के भीतर उसे भेजे जाएं।

5. समिति अब अपनी उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर और टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 1 और 13)

6. 13वें मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिशों में समिति ने निम्नवत् बताया:

"प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का भारत में अपना दुःखद इतिहास रहा है। पिछले कुछ दशकों में चिंताजनक जलवायु परिवर्तन के साथ देश ने बिहार कश्मीर और उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों और मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में बाढ़ जैसी कई आपदाएं और हिंद महासागर सुनामी, गुजरात भूकंप, ओडिशा सुपर साइक्लोन आदि आपदाएं देखी हैं। अतः एनडीआरएफ जैसे समर्पित बल की आवश्यकता महसूस की गई और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इसे स्थापित गया है। समिति ने वर्ष 2006 में इसकी स्थापना के बाद से देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की उपलब्धियों पर ध्यान दिया है। इसने काफी प्रशंसनीय रूप से पेशेवर विशेषज्ञता और अपेक्षित समर्पण के साथ अपने संचालन के दौरान न केवल असंख्य मानव जीवन को बचाया और विपत्ति से निकाला है, बल्कि पशुधन को भी बचाया है।समिति को यह बताया गया है कि एनडीआरएफ की स्थापना के समय सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं और इसलिए एनडीआरएफ को 100% प्रतिनियुक्ति बल के रूप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से 7 वर्ष के लिए कार्मिकों को लेकर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य इसे एक युवा बल के रूप में बनाए रखना था। इसके अलावा शारीरिक स्फूर्ति के चरम पर होने के नाते युवा बल गतिशील प्रकृति का होता है क्योंकि इस आयु में अधिकांश कौशल प्राप्त किए जाते हैं और नई चुनौतियों से परिचय होता है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि यद्यपि 100% प्रतिनियुक्ति बल की अवधारणा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त है तथापि एनडीआरएफ में प्रचालनात्मक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अन्य संगठनों, के उपयुक्त रूप से स्वस्थ और प्रशिक्षित युवाओं, उदाहरण के लिए एनसीसी की वरिष्ठ कैडेट की भागीदारी को भी शामिल करने के लिए इसकी समीक्षा की जाए । यथानिर्धारित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को जारी रखा जाए। चूंकि

भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है. इसलिए इससे देश में युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी।"

7. समिति ने अपनी मूल सिफारिश में निम्नवत बताया था:

"समिति नोट करती है कि विशेष रूप से, पीडित महिलाओं के लिए बचाव और राहत कार्यों के लिए सभी सीएपीएफ से अनुरोध किया गया है कि वे एनडीआरएफ के कार्मिकों की संख्या में प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कार्मिक प्रदान करें। हालांकि, अभी तक ऐसे 170 कर्मी ही एनडीआरएफ में शामिल हुए हैं। समिति एनडीआरएफ में महिला कार्मिकों की भागीदारी के विचार की सराहना करती है। समिति यह जानना चाहती है कि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कर्मियों की संख्या कैसे तय की गई है। समिति का यह भी विचार है कि महिला खिलाड़ियों और एनसीसी की वरिष्ठ स्कंध की 40 महिला कैडेट, जो शारीरिक रूप से फिट हैं और एनडीआरएफ की पूर्व शर्तों को पूरा करती हैं, को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ताकि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में पर्याप्त महिला कर्मियों की उपस्थिति एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित की जा सके।"

8. गृह मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में निम्नवत् बताया है:

"एनडीआरएफ शत-प्रतिशत प्रतिनियुक्ति बल है और इस प्रकार विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस संगठनों के कार्मिकों को एनडीआरएफ में सात साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है ताकि बल में युवा प्रोफ़ाइल को बनाए रखा जा सके, क्योंकि दीर्घावधि बचाव संबंधी कार्यों के लिए युवा और ऊर्जावान कार्मिकों की आवश्यकता होती है। एनडीआरएफ में अन्य संगठनों, विशेष रूप से एनसीसी से प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी के संबंध में, यह कहना है कि एनडीआरएफ में केवल सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति की अनुमति है जबकि एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है। ऐसे में एनसीसी कैडेटों को एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर लेना व्यवहार्य नहीं होगा। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एनडीआरएफ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) से 8266 प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया है और आपदा और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान जब भी आवश्यक हो, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए एनडीआरएफ में उनका डेटाबेस तैयार करके रखा गया है।"

"एनडीआरएफ में कोई भी महिला यूनिट अधिकृत/गठित नहीं है। हालांकि, सभी सीएपीएफ से अनुरोध किया गया है कि वे पीड़ित महिलाओं हेतु बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ में कांस्टेबल (जीडी)/पुरुष कार्मिकों के प्राधिकार के भीतर प्रत्येक एनडीआरएफ इकाई के लिए 108 महिला कार्मिकों का नामांकन भेजें।

प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में 06 कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी में 03 टीमें हैं, सभी सीएपीएफ से एनडीआरएफ बटालियन में 1149 पदों के प्राधिकार हेतु एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन में महिला टीम रखने का अनुरोध किया गया था ताकि, एनडीआरएफ की सभी कंपनियों में महिला दल की सेवाओं का उपयोग किया जा सके:

इंस्पेक्टर (जीडी) / सब इंस्पेक्टर (जीडी)	06 (01 प्रति कंपनी)
हेड कांस्टेबल (जीडी)	18 (03 प्रति कंपनी)
कांस्टेबल (जीडी)	84 (12 प्रति कंपनी)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में नोट किया था कि सरकार ने एनडीआरएफ को 7 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से कार्मिकों को शामिल करके 100% प्रतिनियुक्ति बल के रूप में विचार करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य इसे एक युवा बल के रूप में बनाए रखना है। तथापि, समिति की यह राय थी कि शारीरिक स्फूर्ति चरम पर होने के अतिरिक्त युवा बल गतिशील प्रकृति का होता है, क्योंकि इस आयु में अधिकांश कौशल प्राप्त किए जाते हैं और नई चुनौतियों से परिचय होता है, इसलिए एनडीआरएफ में प्रचालनात्मक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अन्य संगठनों के उपयुक्त रूप से स्वस्थ्य और प्रशिक्षित युवाओं , उदाहरण के लिए एनसीसी के वरिष्ठ कैडेट (वरिष्ठ स्कंध की महिला कैडेट सहित) की भागीदारी को शामिल करने हेतु '100% प्रतिनियुक्त बल' की अवधारणा की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति की अनुमति केवल सरकारी संगठन से दी जाती है जबकि एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है और इसलिए मंत्रालय ने बताया है कि एनडीआरएफ में एनसीसी कैडेटों को प्रतिनियुक्ति पर लेना व्यवहार्य नहीं है। समिति महसूस करती है कि तकनीकी आधार पर यह अस्वीकृति वांछनीय नहीं है। उनकी सिफारिश का

जोर प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनडीआरएफ के लिए एनसीसी कैडेटों पर विचार करने पर नहीं था, बल्कि एनडीआरएफ में एनसीसी के वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों सहित अन्य संगठनों के उपयुक्त रूप से स्वस्थ्य और प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी को समर्थ बनाने हेतु प्रक्रिया की समीक्षा करना था, जो न केवल 'सशक्त भारत' की स्थापना की अवधारणा के अनुरूप होगा, बल्कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर के रूप में भी काम करेगा। न केवल घरेलू आपदा राहत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी जैसे हाल ही में तुर्किए में भूकंप राहत के लिए 'ऑपरेशन दोस्त' में एनडीआरएफ की भूमिका की सराहना करते हुए, समिति ने एनडीआरएफ को और सशक्त करने की आवश्यकता का अनुमान लगाया। इस प्रकार, अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराते हुए, समिति ने मंत्रालय से एक तंत्र तैयार करने का आग्रह किया ताकि एनसीसी के वरिष्ठ कैडेटों (महिला कैडेटों सहित) के साथ-साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के उन प्रशिक्षित युवाओं जो एनडीआरएफ में आवश्यक पूर्व-शर्तों को पूरा करते हैं, का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति का सुझाव है कि मंत्रालय 'अग्निवीर योजना' के तहत सशस्त्र बलों के लिए की जा रही भर्ती की तर्ज पर इन संगठनों के कैडेटों/युवाओं को भर्ती करने की संभाव्यता का पता लगाए। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह उसे इस संबध में की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 2)

10. समिति ने अपनी मूल सिफारिश में निम्नवत बताया था:

"समिति को यह जानकर खुशी हो रही है कि एनडीआरएफ के माध्यम से सरकार ने एक बहु-विषयक, बहु-कुशल उच्च तकनीकी, स्टैंडअलोन बल का गठन किया है जो सभी प्रकार की आपदाओं और आपदा जैसी स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और आपदाओं के प्रभावों को कम करने में सक्षम है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति- 2009 में समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए एनडीआरएफ को भी अधिदेशित किया गया है। यह बल राज्य पुलिस होमगार्ड नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवाओं एनसीसी कैडेटों, गैर सरकारी संगठनों एनवाईकेएस छात्रों, स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम में लगातार लगा हुआ है। ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम तब आयोजित किए जाते है जब एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया या राहत कार्यों में संलग्न नहीं होता है। बीएमटीपीसी द्वारा तैयार की गई सुभेद्यता एटलस के अनुसार जिलों की सुभेद्यता प्रोफाइल के आधार पर एनडीआरएफ इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर कार्य किया जा रहा है/प्राथमिकता दी जा रही

है। तदनुसार, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदेशक बोर्ड द्वारा फील्ड संरचनाओं के अनुभवी अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। समिति यह भी नोट करती कि एनडीआरएफ कर्मियों और अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर के साथ विलय करके एनडीआरएफ अकादमी के निर्माण को मंजूरी दी थी। वर्तमान में यह अकादमी नागपुर के सिविल लाइंस स्थित पूर्ववर्ती एनसीडीसी परिसर में चलाई जा रही है। अकादमी के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजना को कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर मंजूरी दी गई है, 153 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है और 2020 में परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति को आशा है कि एक पूर्ण निर्माण अनुसूची, निधियों के आबंटन और उपयोग के ब्यौरे और नई अकादमी निर्माण परियोजना के पूरा होने की तारीख नियत कर ली गई है और समिति यह चाहती है कि उसे उपरोक्त जानकारी प्रदान की जाए। समित यह भी चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि परियोजना निर्धारित समय में और लागत अनुसूची के भीतर पूरी हो जाए। समिति यह चाहती है कि उसे इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।"

11. गृह मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया**:**

"अधिदेश के अनुसार, एनडीआरएफ लगातार समुदाय और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बनाने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) के साथ विलय के बाद 2018 में एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना की गई थी।

एनडीआरएफ अकादमी की प्रशिक्षण अवसंरचना का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और नागपुर, महाराष्ट्र में 153.278 एकड़ भूमि पर नया अकादमी परिसर बन रहा है। नई अकादमी भवन परियोजना के पूरा होने की तिथि मार्च, 2023 है। निर्माण अनुसूची का पूरा ब्योरा अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

निधि आवंटन और उपयोग संबंधी ब्योरा:-

आवंटन:

₹125.01 करोड़ की अनुमानित लागत से एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ₹85.16 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का विकास।
- ₹18.61 करोड़ की लागत से भूमि।
- ₹13.05 करोड़ की लागत से विशेष उपकरण, आईटी, वाहन और कपड़ों का प्रावधान।
- ₹8.19 करोड़ की लागत से 110 पदों के लिए आवर्ती व्यय।

उपयोग:

दिनांक 31.8.2022 की स्थिति के अनुसार, ₹36.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।"

12. समिति ने नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक नई बुनियादी ढांचा परियोजना की स्वीकृति को नोट करते हुए इच्छा व्यक्त की थी कि परियोजना के लिए पूर्ण निर्माण अनुसूची और उपयोग संबंधी ब्योरे उसके साथ साझा किया जाए। समिति ने अब मंत्रालय द्वारा बताए गए कार्य पूर्ण किए जाने के समय/योजना से यह पाया है कि समस्त परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था, जबकि पूरा होने की नई तारीख 31.03.2023 निर्धारित की गई है। अत:, समिति यह जानना चाहेगी कि इस परियोजना के पूरे होने की स्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त, समिति ने पूर्व में यह भी पाया कि 31 अगस्त, 2022 की स्थिति अनुसार निधियों का उपयोग लगभग 28 प्रतिशत था, इसलिए, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि उसे निधियों के उपयोग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति को यह भी आशा है कि इस परियोजना की लागत में 125 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत वृद्धि नहीं हुई हो।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 5)

13. समिति ने अपनी मूल सिफारिश में निम्नवत बताया था:

"समिति नोट करती है कि 1272.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 11 बटालियन, 10 टीम स्थानों और एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी गई है। हालांकि, स्थानीय निकाय द्वारा भूमि आवंटन / अधिग्रहण और स्वीकृति प्रक्रियाओं में लगने वाले समय अन्य स्थानीय मुद्दों, कोविड 19 महामारी के प्रभाव और राज्य सरकार द्वारा भूमि परिवर्तन के कारण असम और कृष्णा में बटालियनों के मामले में कई कारणों से बुनियादी ढांचे के विकास में कथित तौर पर देरी हुई है। बहरहाल, अब छह बीएन स्थानों पर बुनियादी ढांचा अर्थात कोलकाता, मुंडाली, अरक्कोनम, पुणे वडोदरा और कृष्णा

और सिलीगुड़ी, कोलकाता, द्वारका, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और बालासोर में छह टीम स्थानों को पूरा कर लिया गया है। लुधियाना, गाजियाबाद ,पटना में अन्य बटालियन और देहरादून, किशनगढ़ और सुपौल में टीम के स्थान कथित तौर पर पूरा होने के करीब हैं और 2021-22 तक पूरा हो जाएंगे। समिति को उम्मीद है कि देरी के कारण कोई बड़ी लागत वृद्धि न हो और समिति चाहती है कि उसे की गई कार्रवाई स्तर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति यह इच्छा भी व्यक्त करती है कि पूरी की गई सुविधाओं का बटालियनों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाए। हालांकि, कुछ मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। गुवाहाटी में एक मामले में, समिति को बताया गया कि 1 बटालियन के लिए आवंटित भूमि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (इको सेंसेटिव जोन) के अंतर्गत आती है और यदि राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाती है, तो काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। समिति यह जानकर हैरान है कि मंत्रालय ने मार्च 2024 तक काम पूरा करने की प्रतिबद्ध कैसे की है, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी तरह, गांधीनगर 06 बटालियन में आरआरसी/ टीम स्थान के लिए, एक पीएसयू के चयन के लिए अनुमोदन एमएचए के पास लंबित है, जिसको पूरा करने की तिथि 31.03.2023 पहले ही तय की जा चुकी है। इसलिए समिति इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति जानने की इच्छा रखती है और उनके पूरा न होने की स्थिति में सुझाव देती है कि उपरोक्त बटालियनों के बुनियादी ढांचे के काम को पूरा करने की तारीख को अंतिम रूप देने से पहले, एनडीआरएफ मामले को असम सरकार और गृह मंत्रालय के समक्ष पहले जल्द समाधान के लिए उच्चतम स्तर पर उठाए और फिर उन्हें पूरा करने के लिए किसी वास्तविक तारीख को अंतिम रूप दें। की गई कार्रवाई के स्तर पर इन प्रयासों के परिणाम से अवगत कराया जाए। 10 शहरों में आरआरसी/टीम स्थानों के संबंध में समिति को 31.3.2022 तक 7 स्थानों पर पूरा होने की संभावना के बारे में सूचित किया गया था। समिति को इसकी प्रगति से भी अवगत कराया जाए।"

14. गृह मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, गृह मंत्रालय ने 04.10.2021 को वित्त मंत्रालय के परामर्श से, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए चल रही उप-योजनाओं को बिना किसी लागत वृद्धि के, जारी रखने के लिए ईएफसी की मंजूरी की सूचना दी है। 12 एनडीआरएफ बटालियन और एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में से सातवीं एनडीआरएफ बटालियन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है यानी हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल) में द्वितीय एनडीआरएफ बटालियन, मुंडाली में एनडीआरएफ की तीसरी बटालियन, अरक्कोणम में एनडीआरएफ की चौथी बटालियन, पुणे (महाराष्ट्र) में एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन,

वडोदरा (गुजरात) में एनडीआरएफ की छठी बटालियन, गाजियाबाद (यूपी) में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का कार्यालय भवन, कृष्णा (आंध्रप्रदेश) में एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन। शेष एनडीआरएफ बटालियन और एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर में निर्माण कार्य अभी बाकी है। बाकी स्थानों पर निर्माण कार्य की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:-

i. लुधियाना में 7वीं बटालियन एनडीआरएफ- 87%.

ii. गाजियाबाद में 8वीं बटालियन एनडीआरएफ - 51%.

iii. पटना में 9वीं बटालियन एनडीआरएफ - 64%.

iv. होलोंगी (अरूणाचल प्रदेश) में 12वीं बटालियन एनडीआरएफ- 17%.

v. नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी: - 38% (31.03.2023 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा).

vi. असम राज्य में पहली बटालियन एनडीआरएफ: - भूमि संबंधी मामले के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

अनुमोदित 10 टीम स्थानों में से 07 टीम स्थानों यानी सिलीगुड़ी, कोलकाता, बालासोर, किशनगढ़, द्वारका (नई दिल्ली) बैंगलोर और विशाखापत्तनम में काम पूरा हो गया है। निम्नलिखित टीम स्थानों पर कार्य प्रगति पर है: -

(i) एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के तहत देहरादून-88% (वर्तमान वित्त वर्ष में काम पूरा हो जाएगा)।

(ii) एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के तहत सुपौल-58% (वर्तमान वित्त वर्ष में काम पूरा हो जाएगा)।

(iii) गांधीनगर- कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए हाल ही में 12.04.2022 को एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

असम में पहली बटालियन एनडीआरएफ (भूमि आवंटन का मुद्दा): - भूमि समस्या के कारण पहली बटालियन, एनडीआरएफ पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। गुवाहाटी में एनडीआरएफ बटालियन के लिए वैकल्पिक जमीन के शीघ्र आवंटन के लिए एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय ने इस मामले को असम की राज्य सरकार के सामने पुरजोर रूप से उठाया है। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिनांक 04.02.2021 को वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्य सचिव, असम के साथ बैठक की गई।

तदनुसार, यह परिकल्पना की गई थी कि यदि राज्य सरकार भूमि प्रदान करती है तो मार्च 2024 तक काम पूरा कर लिया जाएगा।

इस बीच, राज्य सरकार ने 02 वैकल्पिक भूमि की पहचान की लेकिन वह उपयुक्त नहीं पाई गई। इसके बाद, भूमि मुद्दे पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने 06.07.2021 को असम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ फिर से अनुवर्ती बैठक की।

तत्पश्चात, राज्य सरकार द्वारा ग्राम-माजीरगाँव, अज़रा सर्कल में 75 बीघा (लगभग 25 एकड़) ग्रामीण चारागाह रिजर्व (वीजीआर) भूमि की पहचान की गई, जिसे एनडीआरएफ द्वारा उपयुक्त पाया गया। असम राज्य सरकार ने उक्त भूमि को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने के लिए मूल अनुमोदन प्रदान कर दिया था लेकिन फिर, स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याओं के कारण, यह फलीभूत नहीं हुआ।

फिर से, केंद्रीय गृह सचिव ने अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से एनडीआरएफ बटालियन के लिए गुवाहाटी में पर्याप्त और उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव, असम सरकार से अनुरोध किया।

अब, एनडीआरएफ ने हाजो अंचल कार्यालय, कामरूप (ग्रामीण) के अंतर्गत सनापारा पर्बत में 530 बीघा 2 कट्ठा 5 लीचा की सरकारी राजस्व भूमि के एक टुकड़े की पहचान की है। तदनुसार दिनांक 12.07.2022 को एनडीआरएफ द्वारा डीसी कामरूप (ग्रामीण) को भूमि विवरण और निर्देशांक के साथ उपरोक्त भूमि के आवंटन का मामला भेजा गया है। जवाब में, डीसी कामरूप (ग्रामीण) ने इस मामले को आयुक्त और सचिव, असम सरकार को प्रस्तुत किया है। यह मामला प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन के बाद यदि आवश्यकता हो, तो बटालियन अवसंरचना का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समयसीमा में संशोधन किया जाएगा।

टीम लोकेशन गांधीनगर में निर्माण कार्य के लिए पीएसयू का चयन: - इससे पहले, 2021 के दौरान, एनडीआरएफ ने अनौपचारिक टिप्पण दिनांक 04.03.2021 के माध्यम से जीएफआर के अनुसार ऑनलाइन बोली औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गृह मंत्रालय से यह कार्य मैसर्स एचएससीएल को देने का अनुरोध किया था। लेकिन, निविदा की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण, यह निर्णय लिया गया कि एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन के टीम लोकेशन गांधीनगर में अवसंरचना निर्माण के लिए फिर से निविदा दी जाए। तदनुसार, पुन: निविदा की प्रक्रिया की गई, जो अब पूरी हो चुकी है और तदनुसार, यह कार्य पीएसयू अर्थात सीएंडडीएस, उ.प्र.जल निगम, नोएडा को सौंप दिया गया है। 12.04.2022 को

एनडीआरएफ ने पीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिया है और यह कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूरा होना है।

15. समिति नोट करती है कि लुधियाना, गाजियाबाद और पटना में स्थित एनडीआरएफ बटालियनों के लिए अवसंरचना निर्माण का कार्य और देहरादून, किशनगढ़ और सुपौल में टीम लोकेशन का कार्य वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूरा होना निर्धारित था, इसके अलावा समिति की इच्छा थी कि उन्हें इन परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति इन परियोजनाओं में कार्य की प्रगति की सराहना करते हुए, जैसा कि मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में बताया है, समिति आशा करती है कि जैसा कहा गया है, कुछ कार्य बिना किसी लागत वृद्धि के चालू वित्त वर्ष में ही पूरे हो गए होंगे। तदनुसार समिति को सूचित किया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि इस तथ्य के बावजूद कि गुवाहाटी के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी और गांधीनगर के मामले में परियोजना के निष्पादन के लिए काम अभी भी दिया जाना बाकी था, मंत्रालय ने गुवाहाटी और गांधीनगर में स्थित बटालियनों के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की तिथियां निर्धारित कर दीं। इस प्रकार, आगे बढ़ते हुए, समिति ने एनडीआरएफ को अपने मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए उन्हें उच्चतम स्तर पर उठाने का सुझाव दिया है और यह भी कि विभाग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्य अंतिम तिथि निर्धारित करे। समिति अब मंत्रालय के उत्तर से यह जानकर प्रसन्न है कि गुवाहाटी में भूमि की पहचान कर ली गई है और आवंटन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। समिति यह भी नोट करती है कि गांधीनगर में बटालियन अवसंरचना निर्माण के निष्पादन के लिए कार्य सौंप दिया गया है, जिसे 30 अप्रैल, 2023 तक पूरा किया जाना है। समिति को आशा है कि मंत्रालय इन परियोजनाओं को तय समय के अंदर पूरा करेगा। समिति चाहती है कि उसे आवंटित बजट के ब्योरे और दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा/संशोधित समय-सीमा से अवगत कराया जाए। समिति ने की गई कार्रवाई उत्तरों पर संतोष व्यक्त करते हुए यह भी नोट किया कि 10 टीम लोकेशनों में से 07 लोकेशनों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। समिति यह भी चाहती है कि शेष 03 टीम लोकेशनों के संबंध में कार्य की प्रगति/कार्यसमापन से उसे अवगत कराया जाए।

टिप्पणी/ सिफ़ारिश (पैरा सं. 8)

16. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति ने नोट किया है कि आपात स्थिति/आपदा से निपटने के लिए सरकार ने 'आपदा मित्र योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और तब से 7000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरे चरण में 350 आपदा प्रवण जिलों की पहचान की गई है और ऐसे प्रत्येक जिले के लिए सरकार ने 2020-2023 की तीन वर्ष की अवधि में 369.41 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव निर्धारित किया है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपदाओं से निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में देश में ये पहल शुरू की गई हैं। तथापि, समिति का विचार है कि जबकि सरकार मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है, उन्हें जापान, इज़राइल आदि जैसे देशों में अपनाए जा रहे प्रचलन के अनुरूप बड़ी संख्या में युवाओं को तैयार करने के लिए विद्यालय/महाविद्यालय स्तरों पर उचित आपदा निकासी प्रशिक्षण भी शामिल करना चाहिए। सरकार को प्रशिक्षित युवाओं को उनके प्रशिक्षण के स्तर अर्थात स्तर 1 स्तर 2, आदि के अनुसार प्रमाण पत्र/पुरस्कार देने पर भी विचार करना चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा मित्र योजना को 3 वर्षों में 369.41 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाना है, जिसे इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। अतः वे आशा करते हैं कि सरकार परिव्यय का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में करेगी और लक्ष्य को पूरा करेगी।"

17. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, गृह मंत्रालय ने निम्नवत् बताया था:

"यह उल्लेख किया जाता है कि आपदा मित्र की पायलट योजना के तहत 6,000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के विरुद्ध 5513 की कुल संख्या में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में चल रही उन्नत आपदा मित्र योजना के तहत, 1 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 14,710 स्वयंसेवकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसके अलावा, यह बताना है कि शिक्षा मंत्रालय और एनडीएमए संयुक्त निगरानी समिति के माध्यम से सभी स्कूलों में नीति संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर संयुक्त रूप से निगरानी कर रहें है। वार्षिक मॉक ड्रिल के आयोजन और स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर नियमित प्रशिक्षण के संचालन सहित 10 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं, जो स्कूलों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

आपदा मित्र योजना की उन्नयन के तहत प्रत्येक प्रशिक्षित स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र/आई-कार्ड प्रदान करने का प्रावधान है।

परियोजना के तहत निर्धारित धनराशि के समयोचित और पूर्ण उपयोग के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

18. समिति नोट करती है कि सरकार ने आपातकाल/आपदा से निपटने के लिए 2020-2023 की तीन साल की अवधि के दौरान एक लाख स्वयंसेवकों को एक प्रशिक्षित करने के लिए 'आपदा मित्र योजना' शुरू की है जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 369.41 करोड़ रुपये है और आशा व्यक्त की है कि सरकार इसका उपयोग करेगी और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को पूरा करेगी। समिति ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि जापान, इज़राइल आदि जैसे देशों में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुरूप स्कूल/कॉलेज स्तर पर उचित आपदा निकासी प्रशिक्षण को शामिल किया जाए, जिससे प्रशिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या तैयार हो सके, और यह भी कि प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र/पुरस्कार प्रदान करने पर विचार किया जाए। समिति को अब मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय और एनडीएमए सभी स्कूलों में संयुक्त रूप से वार्षिक मॉक ड्रिल के संचालन और स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों पर नियमित प्रशिक्षण के संचालन की निगरानी कर रहे हैं। समिति प्रत्येक प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को उनकी सिफारिशों के अनुरूप प्रमाण पत्र/आई-कार्ड प्रदान करने के लिए अप-स्केल्ड आपदा मित्र योजना के तहत किए गए प्रावधान पर भी संतोष व्यक्त करती है। चूंकि अप-स्केल्ड आपदा मित्र योजना का कार्यान्वयन इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा किया जाना है, इसलिए समिति चाहती है कि उसे योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाए, जिसमें राज्यवार प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की कुल संख्या और योजना के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग की सीमा शामिल है।

<u>टिप्पणी/ सिफ़ारिश (पैरा सं. 9)</u>

19. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति ने नोट किया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए आयोजना समन्वय और कार्यान्वयन और जिलों में सभी उपाय करने के लिए निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। सभी जिलों में डीडीएमए का गठन किया गया है। समिति ने आगे नोट किया कि अब तक 25 राज्यों के 30 सबसे

अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 7000 सामुदायिक वॉलंटियरों को 'आपदा मित्र योजना' के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करने का इरादा है और यह महसूस किया गया है कि पहाड़ी जिलों में अन्य आपदा प्रवण क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। जहां भूस्खलन बादल फटने की घटनाओं, भूकंप आदि में तेजी आ रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 में यह अधिदेश दिया गया है कि राज्य का प्रत्येक जिला अपनी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करेगा। इसमें जिले के विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं और किसी जिले का डीएमपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाना है। अब तक देश के 732 जिलों में से 673 जिलों ने अपना डीएमपी तैयार किया है। एनडीएमए द्वारा विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके डीएमपी तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना है। समिति की इच्छा है कि शेष 59 जिलों के डीएमपी को भी समयबद्ध तरीके से तैयार करने और शीघ्र तात्कालिक रूप से अनुमोदित करने की आवश्यकता है। उन्हें इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एनडीएमए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपदाओं के बारे में जागरूकता ला रहा है। तथापि, समिति का विचार है कि आपदा शिक्षा में राज्यों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जिले में रहने वाले सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों, उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित वरिष्ठ एनसीसी कैडेटों की सहायता से देश के आपदा प्रवण जिलों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित किए जा सकते हैं और शिविर लगाए जा सकते हैं ताकि प्रशिक्षित नागरिक किसी भी आपदा के समय प्रथम राहतकर्मियों के रूप में कार्य कर सकें। समिति का यह भी मत है कि बीएसएफ और एसएसबी को किसी आपदा के दौरान जरूरत महसूस होने पर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन उपायों पर विचार करे और उन्हें इस पर की गई कार्रवाई से अवगत कराए।"

20. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, गृह मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"(क). **आपदा मित्र**: यह कहना है कि आपदा मित्र पायलट योजना के अंतर्गत, 6000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य की तुलना में 5513 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान अद्यतित आपदा मित्र योजना के अंतर्गत, अब तक 1 लाख के लक्ष्य की तुलना में लगभग 14710 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अद्यतित आपदा मित्र योजना का कार्यान्वयन भारत में पहाड़ी क्षेत्रों सहित 350 जिलों में किया जा रहा है। इन जिलों की पहचान भू-स्खलन, भूकम्प, बाढ़ और चक्रवातों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर की गई है।

(ख). **आपदा प्रबंधन योजना**: समिति की अनुशंसाएं नोट कर ली गई हैं। जिन राज्यों में शेष 59 जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाएं (डीएमपी) तैयार की जानी हैं, उनसे, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन संबंधित दिशानिर्देर्शों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अपने डीएमपी तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा।

(ग). **जिला स्तरीय अभ्यास**: 30 जून, 2020 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने देश की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की और उसके बाद यह निर्देश दिया कि देश के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार अभ्यास किया जाए:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर जिला आपदा प्रतिक्रिया के लिए फील्ड प्रशिक्षित टीमों का गठन कर सके।

(ख) प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजना और इसकी तैयारियों की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए।

(ग) विभिन्न हितधारकों में और उनके बीच बेहतर समझ और समन्वय लाने के लिए।

किसी राज्य के अभ्यास के दिन, संबंधित जिले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अग्निशमन और आपात सेवाएं (एफएंडईएस) उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले विद्यालय में भी जाएंगे और जिले में पहले से चिन्हित 10 से 20 विद्यालयों में मॉक ड्रील करेंगे।

निर्देशानुसार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर मॉक अभ्यास करने का कार्य सौंपा गया है। प्रशिक्षण निम्न तालिका के अनुसार चरणबद्ध रूप से दिया जा रहा है:

फेज	वित्त वर्ष	कवर किए गए जिले
फेज-I	2020-21	98
फेज-II	2021-22	239
फेज-III	2022-23	सभी 298 जिलों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय एमई का वार्षिक कैलेंडर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22(2) (त) और 30 (2) (xxviii) के अनुसार, राज्य/जिला प्राधिकारी समय-समय पर जिला प्रबंधन ड्रिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। किंतु, एनडीएमए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों, जिला प्रशासनों, संबंधित विभाग, सामुदायिक स्वयंसेवकों और ईडब्ल्यू

एजेंसियों, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ जैसी केन्द्रीय एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रोफाइल के आधार पर आपदा परिस्थिति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बहु-राज्यीय मॉक अभ्यास करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। वर्ष 2021-22 में, एनडीएमए ने 02 वास्तविक मॉक अभ्यासों सहित 21 ऐसे ऑनलाइन टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) का समन्वय और संचालन किया।

इस पैरा में की गई सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। हालाँकि बीएसएफ और एसएसबी सहित सभी सीएपीएफ आवश्यकतानुसार किसी भी आपदा में तत्काल मोचन कार्य करते हैं और एनडीआरएफ की बटालियनों/टीमों को अपेक्षानुसार सभी आवश्यक समर्थन/सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह भी संज्ञान में लाना है कि एसएसबी ने अपने प्रचालन क्षेत्र में आपदा की स्थितियों के दौरान बचाव और राहत कार्य चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर राज्यों में 18 बचाव और राहत टीमों (आरआरटी) का गठन करके कार्य किया है। इसके अलावा एसएसबी अपने एओआर में सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का संचालन कर रही है। इसके अलावा आईटीबीपी द्वारा भी आपदाओं में मोचन हेतु क्षेत्रीय मोचन केंद्रों की स्थापना की गई है।

भारत सरकार किसी आपदा की स्थिति में मोचन, राहत और बचाव उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की सहायता करने और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।"

21. समिति ने पाया कि देश के 732 जिलों में से 673 जिलों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अनुसार अपनी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार कर ली है और इसलिए समिति यह चाहती है कि शेष 59 जिलों के डीएमपी भी समयबद्ध तरीके से तेजी से तैयार और अनुमोदित किए जाएं। अपने उत्तर में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि जिन राज्यों में शेष 59 जिलों का डीएमपी तैयार किया जाना बाकी है, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने डीएमपी को शीघ्रता से तैयार करें। तथापि, उत्तर में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि शेष जिलों ने अपने डीएमपी की तैयारी पूरी कर ली है या नहीं। समिति के 13वें प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत हुए अब 08 महीने से अधिक समय हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित जिलों ने अपने डीएमपी को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय दबा के दुष्प्रभाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित मामले हमेशा प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होते हैं, और

इसलिए, समिति फिर से आग्रह करती है कि संबंधित 59 जिलों के डीएमपी को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए और तदनुसार समिति को अवगत कराया जाए।

टिप्पणी/ सिफ़ारिश (पैरा सं. 10)

22. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आदर्श वाक्य "सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड" है। वे इसमें अंतर नहीं करते हैं कि मानव जीवन है या पशु जीवन। अगर किसी जगह कोई जानवर भी फंस जाता है तो वे उसे बचाते हैं। जंगल की आग के दौरान जंगली जानवरों का बचाव इससे जुड़ा एक मुद्दा है। इस संबंध में समिति ने नोट किया है कि एनडीआरएफ जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग के साथ काम कर रहा है। तथापि जहां तक एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने का संबंध है, कथित तौर पर इस मामले पर संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। जंगल की आग अब विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ खतरा है। वनों में आग लगने की घटनाएं न केवल वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं, जनजातीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और वनों की वनस्पतियों और जीवों के लिए गंभीर संकट का कारण बनती हैं। देश में हाल के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए समिति का मानना है कि एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने का निर्णय जल्द से जल्द लिए जाने की आवश्यकता है। जंगल में आग लगने की बड़ी घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग की सीमित क्षमता के कारण, यह उपयुक्त समय है कि आपदाओं से निपटने वाले उच्च प्रशिक्षित बल दवारा इसको संभाला जाए। समिति को इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।"

23. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, गृह मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"गृह मंत्रालय ने जंगल की आग के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सदस्य (ऑपरेशंस), एनडीएमए की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनडीआरएफ, डीजीएफएस, सीडीएंडएचजी, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), भारतीय मौसम विज्ञान (आईएमडी) और वन अनुसंधान संस्थान को भी विशेषज्ञ समिति में सदस्य नामित किया गया है। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद तीन एनडीआरएफ

स्थानों पर स्थित वर्तमान 03 एनडीआरएफ टीमों, अर्थात उत्तराखंड में एक टीम, गुवाहाटी में एक टीम और आंध्र प्रदेश में एक टीम को जंगल की आग से निपटने में प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाएगा।"

24. समिति ने यह देखते हुए कि हाल ही में जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, सरकार से एनडीआरएफ द्वारा आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया था, क्योंकि वन विभाग जंगलों की आग से निपटने में उतने सक्षम नहीं हैं और उनकी क्षमता सीमित है। समिति को मंत्रालय के उत्तर से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरएफ की 03 टीमों- उत्तराखंड, गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक में 01 टीम को जंगल की आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित और उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। समिति को आशा है कि मंत्रालय जंगल की आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित टीमों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि करने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी रणनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि वे विशेष टीमें जंगल में आग लगने की किसी भी आपात स्थिति से कम समय में निपट सकें।

अध्याय – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 3)

समिति यह नोट करती है कि एनडीआरएफ पिछले तीन वर्षों में उन्हें मिलने वाले सरकारी वित्तीय सहायता से काफी हद तक संतुष्ट हैं, जो कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 1101.41 करोड़ रुपये, 1140.74 करोड़ रुपये और 1281.44 करोड़ रुपये रही है, जिसमें से ओबी अर्थात बुनियादी ढांचे के लिए निधि बहुत जरूरी है। प्रत्येक बटालियन के लिए एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा अनिवार्य है और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य के दौरान समिति को आश्वासन दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बुनियादी ढांचे का 80-90 प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा और शेष अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2016-17 से बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि बीई और आरई में पूंजीगत बजट प्रावधान राजस्व बजट अनुमानों और अतीत में वास्तविक व्यय के 50% से कम है। समिति ने इस तथ्य पर भी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में पूंजी क्षेत्र में वास्तविक व्यय में काफी हद तक गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिससे एनडीआरएफ बटालियनों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना में बाधा आ सकती है। इसलिए समिति यह चाहती है कि मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि पूंजीगत संपत्ति के लिए आवंटित निधि में कमी के साथ एनडीआरएफ बटालियनों के लिए सभी बुनियादी ढांचे के काम को कैसे पूरा करने की उनकी योजना है। वे सिफारिश करते हैं कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से पूंजी क्षेत्र में निधि में कमी/चूक को दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाएं, ऐसा न हो कि परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य तिथियों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता हो, जिससे लागत में वृद्धि होगी और साथ ही साथ एनडीआरएफ बटालियनों की क्षमता वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार का उत्तर

दिनांक 04.10.2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकित एनडीआरएफ के विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे के काम की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

- 12 एनडीआरएफ बटालियन और एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में से; एनडीआरएफ की 07 बटालियनों *[अर्थात् हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल) में एनडीआरएफ की द्वितीय बटालियन, मुंडाली में*

एनडीआरएफ की तीसरी बटालियन, अरक्कोणम में एनडीआरएफ की चौथी बटालियन, पुणे में एनडीआरएफ की पांचवी बटालियन, वडोदरा (गुजरात) में एनडीआरएफ की छठीं बटालियन, गाजियाबाद (यूपी) में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का कार्यालय भवन, कृष्णा (आंध्र प्रदेश) में एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन] का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एनडीआरएफ की शेष बटालियनों और एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर का कार्य प्रगति पर है। शेष स्थानों पर निर्माण कार्य की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:-

(i) लुधियाना में एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन का 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ii) गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का -51% कार्य पूर्ण हो चुका है।

(iii) पटना में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन का 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(iv) होलोंगी (अरुणाचल प्रदेश) में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन का 17 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(v) नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी का 31% कार्य पूर्ण हो चुका है।

(vi) असम राज्य में एनडीआरएफ की प्रथम बटालियन में भूमि विवाद के कारण कार्य अभी शुरू होना शेष है

- ईएफसी में अनुमोदित 10 टीम स्थानों में से 07 टीम स्थान *[अर्थात् सिलीगुड़ी, कोलकाता, बालासोर, किशनगढ़, द्वारका (नई दिल्ली), बैंगलोर और विशाखापत्तनम]* पर काम पूरा कर लिया गया है। टीम स्थान देहरादून (88%), सुपौल (58%) पर कार्य प्रगति पर है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा कर लिया जाएगा। टीम स्थान गांधीनगर का कार्य सी एंड डीएस, यू.पी. जल निगम, नोएडा को सौंपा गया है जिसके लिए दिनांक 12.04.2022 को एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- वर्ष 2016-17 से अनुमोदित बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के संबंध में वास्तविक बजट व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	उपयोग का %
2016-17	163.08	130	130	100%
2017-18	180	183.96	183.77	99.90%
2018-19	190	158	157.95	99.97%
2019-20	95	95	94.51	99.48%
2020-21	72	92	92.03	100%
2021-22	72	127.96	127.64	99.75%

पूंजीगत व्यय के लिए एनडीआरएफ को निधि के आबंटन का शत-प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है।

पिछले वर्षों के दौरान उपरोक्त आबंटन से निधि की आवश्यकता को पूरा किया जाता रहा है और इस संबंध में कोई कमी नहीं देखी गई है। यह उल्लेख किया जाए कि कतिपय स्थानों पर, राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के लिए भूमि मुफ्त प्रदान की और इस प्रकार पूंजीगत परिव्यय के लिए निधि की आवश्यकता में काफी कमी आई। इसके अलावा, सरकार एनडीआरएफ के पूंजीगत परिव्यय के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 4)

समिति ने आगे यह पाया है कि यद्यपि सरकार पर्याप्त निधि आवंटित कर रही है बजट अनुमानों और वर्ष 2016-17 से वास्तविक व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए बजट प्रावधान अर्थात 1 से 2 करोड़ रुपये काफी कम रहा है और यहां तक कि इसका उपयोग भी 100% नहीं हुआ है, क्योंकि यह मुख्य रूप से 50% से 80% के दायरे में रहा है। समिति का यह विचार है कि एनडीआरएफ कर्मियों के अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए और एसडीआरएफ कर्मियों को एनडीआरएफ द्वारा निःशुल्क बुनियादी, अग्रिम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। चूंकि आपदाएं किसी भी समय हो सकती हैं, इसलिए पूरे वर्ष एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ कर्मियों की फिटनेस और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित तंत्र विकसित किया जाए। यह प्रशिक्षण के लिए बढ़ी हुई बीई के साथ-साथ उसी के 100% उपयोग की मांग करता है। इस प्रकार, ओएई और एफटीई जैसे लेखा शीर्षो के तहत बजट प्रावधान की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षो के दौरान कम आवंटन और इसका उपयोग दिखाया है। इसका समाधान करने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि कम उपयोग के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की जाए और उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय आगे एनडीआरएफ कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अग्रिम योजना तैयार करे और अनुपूरक अनुदान / अगले वर्ष के बीई चरण में वित्त मंत्रालय के समक्ष बेहतर बजटीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत करे।

सरकार का उत्तर

एनडीआरएफ कर्मी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अन्य संस्थानों और संगठनों से विभिन्न उन्नत आपदा प्रबंधन कोर्स करते हैं ताकि बचाव कार्यों और अन्य प्रक्रिया के दौरान उनकी विशेषज्ञता का

बेहतर तरीके से लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा, एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर 2018 से एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और आपदा प्रबंधन में शामिल अन्य हितधारकों के लिए एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है जहां एसडीआरएफ से केवल पीपीई और स्टेशनरी वस्तुओं जैसी व्यय योग्य वस्तुओं का शुल्क लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए एसडीआरएफ से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

बेहतर तरीके से देश की सेवा करने की एनडीआरएफ की क्षमता में सुधार के लिए, एनडीआरएफ ने अपने कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) आयोजित करने की कवायद शुरू की है। तदनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक ने टीएनए के संचालन में एनडीआरएफ की मदद करने के लिए सहमति दी है ।

हालांकि, भविष्य में प्रशिक्षण के लिए निधि की सही आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 6)

समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से समय-समय पर इसकी क्षमता का आकलन कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बल की क्षमता वर्ष 2006 में 8 बटालियन से बढ़कर वर्ष 2010 में 10 बटालियन और वर्ष 2015 में 12 बटालियन हो गई है। हालांकि, जैसा कि यह पाया गया था कि क्षमता को और बढ़ाने के लिए सरकार ने एनडीआरएफ की 4 नई बटालियन जुटाने और किसी भी आपदा की स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें सभी परिचालन और प्रशासनिक शक्ति महानिदेशक, एनडीआरएफ में निहित है। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि नई बटालियनों में से 1 बटालियन जुटाने की प्रक्रिया संबंधी कार्य बीएसएफ से शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए चुने गए 139 कर्मियों में से केवल 103 ही शामिल हो सके और बीएसएफ में जनशक्ति की भारी कमी के कारण, मार्च, 2022 के बाद 36 कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में समिति नोट करती है कि एनडीआरएफ की कुल 16 बटालियनों में से एनडीआरएफ के केवल 3 बटालियनों को बीएसएफ से लिया गया है। समिति यह पाती है कि सभी बलों में से, शायद बीएसएफ ही एकमात्र बल है जो एनडीआरएफ को जनशक्ति प्रदान करने में कठिनाई का सामना करता है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2006 से. सरकार ने विभिन्न सीएपीएफ में 171 नई बटालियनों को मंजूरी दी है, जिसमें

बीएसएफ में काफी संख्या में 35 बटालियन शामिल हैं। हालांकि, अगर ये नई बटालियनें अभी मौजूद हैं, तो समिति को आश्चर्य होता है कि बीएसएफ ने एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए 36 कर्मियों की भारी कमी व्यक्त की है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय एनडीआरएफ को अपेक्षित कर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारणों पर गौर करे और देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की आवश्यकता के नियमित / आवधिक मूल्यांकन के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने सीएपीएफ से एनडीआरएफ की 04 नई बटालियन अर्थात 2 बटालियन आईटीबीपी से, असम राइफल और बीएसएफ से 01-01 बटालियन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इन बटालियनों की स्थापना की गृह मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई है। दिनांक 23.11.2011 को बीएसएफ द्वारा गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए बटालियन के लिए कार्मिकों की कमी पर चर्चा की गई और इसमें महानिदेशक, बीएसएफ और महानिदेशक, एनडीआरएफ ने भाग लिया। तत्पश्चात, बीएसएफ से आवश्यक कार्मिकों को भी एनडीआरएफ में नई बटालियन हेतु तैनात किया गया था। इन बटालियनों की स्थिति इस प्रकार हैः-

ii. असम राइफल्स से 01 बटालियन और आईटीबीपी से 02 बटालियनों को एनडीआरएफ में शामिल किया गया है और क्रमशः 13वीं, 14वीं और 15वीं बटालियन एनडीआरएफ के रूप में नामित किया गया है। ये बटालियनें अब काम कर रही हैं।

iii. बीएसएफ से 16वीं बटालियन एनडीआरएफ के रूप में नामित 01 बटालियन को स्थापित किया गया है। बटालियन की आपदा प्रबधन का प्रशिक्षण चल रहा है। आपदा प्रबधन के प्रशिक्षण के बाद यह बटालियन भी प्रचालनात्मक हो जाएगी।

गृह मंत्रालय नियमित रूप से एनडीआरएफ बटालियन में कार्मिकों की उपलब्धता की निगरानी विभिन्न स्तरों पर करता है और जैसे ही कोई कमी दिखाई देती है, उसे तुरंत ठीक किया जाता है।

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 7)</u>

समिति ने नोट किया है कि जहां बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि का पूर्वानुमान / पूर्व चेतावनी उपलब्ध होती है, वहां एनडीआरएफ संबंधित राज्य के परामर्श से अपनी टीमों को तैनात करता है। पहले से ही तैनाती आसन्न आपदा से निपटने के लिए पूर्व सक्रिय प्रतिक्रिया के उपाय के रूप में की जाती है। स्थिति के आकलन के बाद, यदि स्थिति राज्य, संघ राज्य क्षेत्र संभावित रूप से संभाल नहीं पा रहे हैं और यदि राज्य

को अतिरिक्त टीमों की आवश्यकता होती है, तो अन्य बटालियन स्थानों से एयरलिफ्ट करके भी पर्याप्त अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार एनडीआरएफ की तैनाती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई राशि नहीं लेती है। भारतीय वायु सेना और भारतीय रेल ने कथित तौर पर आपदाओं के लिए बल जुटाने में एनडीआरएफ की सहायता की है। समिति इस बात की सराहना करती है कि एनडीआरएफ को बल जुटाने के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय रेल का समर्थन मिल रहा है और आशा है कि एनडीआरएफ वायु सेना, रेलवे और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और संचार सुनिश्चित करने के लिए एसओपी स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी नोट किया कि अप्रत्याशित आपदाओं के लिए, एनडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल, तेज आवाजाही के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि, संचार उपकरणों की समीक्षा, विशेष अनुरोध पर एसडीआरएफ कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि कार्य किए गए हैं। समिति को उम्मीद है कि तैयारी जारी रहेगी क्योंकि यह आपदा का प्रबंधन करने तथा जान और माल के नुकसान को कम करने के लिए सबसे अच्छा कदम है।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। भारत सरकार ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत सरकार और एनडीआरएफ सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और एनडीआरएफ द्वारा संबंधित राज्य/जिला प्राधिकारियों के परामर्श से आवश्यकतानुसार तैनाती की जाती है।

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 8)</u>

समिति ने नोट किया है कि आपात स्थिति/आपदा से निपटने के लिए सरकार ने 'आपदा मित्र योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और तब से 7000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरे चरण में 350 आपदा प्रवण जिलों की पहचान की गई है और ऐसे प्रत्येक जिले के लिए सरकार ने वर्ष 2020-2023 की तीन वर्ष की अवधि में 369.41 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव निर्धारित किया है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपदाओं से निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में देश में ये पहल शुरू की गई हैं। तथापि, समिति का विचार है कि जबकि सरकार मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है, उन्हें जापान, इज़राइल आदि जैसे देशों में अपनाए जा रहे प्रचलन के अनुरूप बड़ी संख्या में युवाओं को तैयार करने के लिए विद्यालय/महाविद्यालय स्तरों पर उचित

आपदा निकासी प्रशिक्षण भी शामिल करना चाहिए। सरकार को प्रशिक्षित युवाओं को उनके प्रशिक्षण के स्तर अर्थात स्तर 1 स्तर 2, आदि के अनुसार प्रमाण पत्र/पुरस्कार देने पर भी विचार करना चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा मित्र योजना को 3 वर्षों में 369.41 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाना है, जिसे इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। अतः वे आशा करते हैं कि सरकार परिव्यय का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में करेगी और लक्ष्य को पूरा करेगी।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जाता है कि आपदा मित्र की पायलट योजना के तहत 6,000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के विरुद्ध 5513 की कुल संख्या में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में चल रही उन्नत आपदा मित्र योजना के तहत, 1 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 14,710 स्वयंसेवकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसके अलावा, यह बताना है कि शिक्षा मंत्रालय और एनडीएमए संयुक्त निगरानी समिति के माध्यम से सभी स्कूलों में नीति संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर संयुक्त रूप से निगरानी कर रहें है। वार्षिक मॉक ड्रिल के आयोजन और स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर नियमित प्रशिक्षण के संचालन सहित 10 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं, जो स्कूलों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

आपदा मित्र योजना की उन्नयन के तहत प्रत्येक प्रशिक्षित स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र/आई-कार्ड प्रदान करने का प्रावधान है।

परियोजना के तहत निर्धारित धनराशि के समयोचित और पूर्ण उपयोग के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 18 देखें)

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 10)</u>

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आदर्श वाक्य "सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड" है। वे इसमें अंतर नहीं करते हैं कि मानव जीवन है या पशु जीवन। अगर किसी जगह कोई जानवर भी फंस जाता है तो वे उसे बचाते हैं। जंगल की आग के दौरान जंगली जानवरों का बचाव इससे जुड़ा एक मुद्दा है। इस संबंध में समिति ने नोट किया है कि एनडीआरएफ जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग के साथ काम कर रहा है। तथापि जहां तक एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने

का संबंध है, कथित तौर पर इस मामले पर संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। जंगल की आग अब विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ खतरा है। वनों में आग लगने की घटनाएं न केवल वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं, जनजातीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और वनों की वनस्पतियों और जीवों के लिए गंभीर संकट का कारण बनती हैं। देश में हाल के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए समिति का मानना है कि एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने का निर्णय जल्द से जल्द लिए जाने की आवश्यकता है। जंगल में आग लगने की बड़ी घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग की सीमित क्षमता के कारण, यह उपयुक्त समय है कि आपदाओं से निपटने वाले उच्च प्रशिक्षित बल दवारा इसको संभाला जाए। समिति को इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

गृह मंत्रालय ने जंगल की आग के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सदस्य (ऑपरेशंस), एनडीएमए की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनडीआरएफ, डीजीएफएस, सीडीएंडएचजी, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), भारतीय मौसम विज्ञान (आईएमडी) और वन अनुसंधान संस्थान को भी विशेषज्ञ समिति में सदस्य नामित किया गया है। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद तीन एनडीआरएफ स्थानों पर स्थित वर्तमान 03 एनडीआरएफ टीमों, अर्थात उत्तराखंड में एक टीम, गुवाहाटी में एक टीम और आंध्र प्रदेश में एक टीम को जंगल की आग से निपटने में प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 24 देखें)

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 11)</u>

आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई करने के लिए सीएपीएफ के क्षेत्रीय अनुक्रिया केन्द्रों (आरआरसी) का सृजन देश में खतरे वाले स्थानों के आधार पर किया गया था और उसके बाद इनमें से अधिकांश आरआरसी एनडीआरएफ को सौंप दिए गए थे। आमतौर पर आरआरसी के लिए 10,000 वर्ग फुट (लगभग) निर्मित क्षेत्र या 05 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 आरआरसी हैं। केवल 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, मेघालय, चंडीगढ़, दादरा और नगर

हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कोई एनडीआरएफ बटालियन / आरआरसी नहीं है। तथापि, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निकटवर्ती एनडीआरएफ बटालियन / आरआरसी स्थान द्वारा कवर किए जाने की बात कही गई है। समिति का मत है कि आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुक्रिया केन्द्र के सृजन पर विचार कर सकती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश तटीय क्षेत्र हैं और इस प्रकार सुनामी, तेल रिसाव आदि जैसी आपदाओं से ग्रस्त होने कि संभावना है। इस संबंध में, समिति महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जो अभी भी आपदा संभावित है, उसे संभालने मे पूरी तरह से तैयार होने के लिए छोटे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि कोई भी राज्य आपदाओं से सुरक्षित नहीं है। इसलिए सभी राज्यों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपने एसडीआरएफ को शीघ्रता से सुविधाएं प्रदान करें। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

एनडीआरएफ बटालियन और उनकी टीम के स्थान/आरआरसी को देश की संवेदनशीलता की स्थिति को देखते हुए तैनात किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों को एनडीआरएफ की ही तर्ज पर अपने एसडीआरएफ बलों को आपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों का संवर्धन करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एसडीआरएफ बलों का गठन करने का अनुरोध करता रहता है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने एसडीआरएफ बलों का गठन कर लिया है।

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 12)</u>

समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना चरण-II के तहत एनडीआरएफ बटालियनों के संचार उपकरण की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और तदनुसार, 31 मई, 2011 से 5 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र इकाइयों के साथ उनके मुख्यालय के साथ असफल न होने वाला संचार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपकरण प्रदान किए गए थे और इसे पहली बार 31 मार्च 2018 और आगे 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। समिति का मानना है कि एनडीआरएफ के संचार उपकरणों की समीक्षा के लिए प्रचलित प्रथा पर ध्यान देने की आवश्यकता है खासकर जब संचार प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए वे चाहते हैं कि संचार उपकरणों की समीक्षा अब कम अवधि में की जा सकती है। समिति ने यह भी नोट किया है कि एनडीएमए की सलाह प्राप्त करने के बाद एनडीआरएफ के संचार उपकरणों की

समीक्षा करने का प्रस्ताव पहले ही वित्तीय सहमति के लिए भेजा जा चुका है। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़े और बिना किसी देरी के शीघ्रता से वित्तीय सहमति प्राप्त करे।

सरकार का उत्तर

यह बताया जाता है कि संचार उपकरणों की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को गृह मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2022 को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 14)</u>

समिति ने नोट किया है कि प्रचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ को अतिरिक्त उपस्कर (कटिंग टूल्स) प्राधिकृत किए गए हैं और डीप डाइविंग उपस्करों के प्राधिकार को भी संशोधित किया गया है। वर्ष 2017 में एनडीआरएफ बटालियन से एनडीआरएफ टीमों की तेजी से आवाजाही को सक्षम करने के लिए वाहनों की संख्या 80 से बढ़ाकर 104 प्रति बटालियन कर दी गई थी। समिति, जब विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न आपदा अनुक्रिया उपस्करों की प्राधिकृत और मौजूदा संख्या के ब्यौरे की जांच की तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रिक हैमर, चिपिंग हैमर बिट्स, चिपिंग हैमर बिट्स फ्लैट, मल्टी पैरा मॉनीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और नेबुलाइजर जैसी वस्तुओं की संख्या में भारी अंतर है। उन्होंने यह भी पाया कि लगभग 10 वस्तुएं, जो एनडीआरएफ के लिए प्राधिकृत हैं, इसका हिस्सा नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, समिति को यह भी पता चला है कि एनडीआरएफ को प्राधिकृत लगभग सभी मदों की भारी कमी हो गई है। समिति चाहती है कि मंत्रालय अतीत और भविष्य में भी आपदा राहत प्रबंधन पर उपकरणों की इतनी बड़ी कमी के प्रतिकूल प्रभाव की गंभीरता को समझे। समिति उस तंत्र के बारे में जानना चाहती है जिसके माध्यम से उपस्करों को प्राधिकृत किया जाता है और उनकी संख्या का विश्लेषण किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपस्करों की कमी की समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जाए और शेष उपस्करों को बिना किसी देरी के खरीदा जाए।

सरकार का उत्तर

उपकरणों को प्राधिकृत करने की पद्धति में यह शामिल है कि, एनडीआरएफ, अपनी आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता और विनिर्देशों की समीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अधिकारियों के बोर्ड का गठन करता है। तत्पश्चात, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। गृह मंत्रालय ने

अन्य संगठनों/हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद उपकरणों को एनडीआरएफ के लिए प्राधिकृत किया है ।

एनडीआरएफ द्वारा उपकरणों की खरीद प्राधिकार के अनुसार की जाती है और अपेक्षित वस्तुसूची का रखरखाव किया जाता है। गृह मंत्रालय उपकरणों की खरीद के लिए एनडीआरएफ द्वारा अनुमानित पर्याप्त निधि आवंटित करता है। इसके अलावा, कमी को पूरा करने के लिए उपकरणों की खरीद एक सतत और चलायमान प्रक्रिया है। यह यहां बताया जाए कि वस्तुसूची में देखा गया बड़ा अंतर गठित होने वाली 4 नए बटालियनों के उपकरणों को शामिल करने के कारण आया है। चूंकि ये बटालियनें गठित होने की प्रक्रिया में थीं, इसलिए वस्तुसूची में कमी दिखाई दे रही थी। यह बताया जाता है कि 16 बटालियनों में से 4 नई बटलियनों के उपकरण कुल वस्तुसूची का 25% का निर्धारण करते हैं।

जहां तक डीप डाइविंग सूट के संबंध में अवलोकन करने का संबंध है, यह बताया गया है कि विनिर्देशों की समीक्षा को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। तदनुसार, खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्रिक हैमर, चिपिंग हैमर बिट्स पॉइंटेड एंड फ्लैट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और नेबुलाइजर कम कीमत वाली मदें हैं और इनकी खरीद यूनिट कमांडेंट की वित्तीय क्षमता के तहत की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मल्टी पैरा मॉनिटर प्रत्येक बटालियन के लिए 2 की दर से अधिकृत है और एनडीआरएफ के 12 बटालियनों के पास इसकी धारिता संख्या-25 है। नई गठित बटालियनों के लिए केवल 8 मल्टी पैरा मॉनिटर की कमी है जो चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीद योजना में शामिल है।

गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नई गठित एनडीआरएफ बटालियनों के लिए कटिंग टूल्स की खरीद की गई है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि एनडीआरएफ बटालियन में कटिंग टूल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तथापि, बटालियनों द्वारा अनुपयोगी घोषित/आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी के मामले में, इसे चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीदा जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है और एनडीआरएफ के उपस्करों की खरीद की प्रगति पर बारीकी से निगरानी की जाती है।

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं 15)</u>

समिति ने देश और विदेश में आपदाओं के दौरान लोगों और जानवरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए सिफारिश की है कि आपदा के बाद की समीक्षा के लिए एक तंत्र होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कमियों की पहचान की जा सके और उनकी तैयारियों

को और मजबूत किया जा सके। पिछली आपदाओं और आपदा के बाद से सीखे गए सबक को विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होना चाहिए जैसे कि (क) बेहतर संभार तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (खरीद, भण्डारण, परिवहन और संचार सहित) की आवश्यकता (ख) मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए रिजर्व जनशक्ति के रूप में कार्मिकों का प्रशिक्षण (ग) जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण और मजबूत संचार लाइनें (घ) भागीदार एजेंसियों, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार आदि का समन्वय (ङ) पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा आदि। समय के साथ, एनडीआरएफ का उद्देश्य केवल बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समग्र रूप से राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण भी होना चाहिए। विषयगत क्षेत्र (i) रोकथाम और शमन (ii) तैयारी (iii) प्रतिक्रिया (iv) बचाव और पुनर्वास होना चाहिए। समिति यह विश्वास करना चाहती कि एनडीआरएफ के अब तक के अनुभव के आधार पर इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। अतः समिति विशेषरूप से प्रतिकूल जलवायु घटनाओं/सशस्त्र संघर्षों और इसी तरह की आपदाओं के कारण आसन्न आपदाओं, जो अब पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही हैं, के वर्तमान परिदृश्य में आपदा की रोकथाम और उसकी तैयारियों के संबंध में मंत्रालय के भावी दृष्टिकोण से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। प्रत्येक बड़ी घटना के बाद डीब्रीफिंग की एक अभिन्न प्रणाली है। कमियों, सीखे गए सबक, शुरू की गई पहलों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। चर्चा के आधार पर बेहतर कार्रवाई के लिए एनडीआरएफ में भविष्य में परिचालन दक्षता में सुधार के उपाय किए जाते हैं।

इसके अलावा, यह बताया जाता है कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में और राज्यों की क्षमता से परे आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

इसके अलावा, राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के रूप में लंबे समय से आपदा मोचन के वित्तपोषण की एक अच्छी तरह से स्थापित योजना मौजूद है। इन निधियों का आवंटन वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है।

15वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने एसडीआरएफ के तहत सभी राज्यों के लिए आवंटन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है अर्थात वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए

61220.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान इसे 128122 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण तंत्र में प्रशमन कोष की अवधारणा को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) को कई राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और शेष राज्य, राज्य आपदा प्रशमन कोष (एसडीएमएफ) की स्थापना की प्रक्रिया में हैं। इन प्रशमन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर और समुदाय आधारित हस्तक्षेप से संबंधित प्रशमन गतिविधियों को करने के लिए किया जाना है जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु एसडीएमएफ के अंतर्गत सभी राज्यों हेतु 32031.00 करोड़ रु. तथा एनडीएमएफ के अंतर्गत 13693.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) शीर्षक के एक नए नामकरण के तहत कुल राज्य आवंटन की सिफारिश की है। एसडीआरएमएफ को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रशमन कोष (एसडीएमएफ) में विभाजित किया गया है, जो आपदा प्रबंधन की जरूरतों, कार्रवाई और राहत, बहाली और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता निर्माण, और शमन के पूरे चक्र का समाधान करेगा। वर्ष 2021-2026 के लिए एसडीआरएफ/एसडीएमएफ के तहत आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

- **एसडीआरएमएफ:-** 1,60,153 करोड़ रु –
- एसडीआरएफ (80%): 1,28,122 करोड़ रु;
- एसडीएमएफ(20%): 32,031 करोड़ रु.

एसडीआरएफ को 3 उप विंडो में विभाजित किया जाएगा

I.कार्रवाई और राहत (40%) - 64,061 करोड़ रु.

II.बहाली और पुनर्निर्माण (30%) - 48,046 करोड़ रु.

III.तैयारी और क्षमता निर्माण (10%)-16,015 करोड़ रु

इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी और त्वरित कार्रवाई तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार ने एक मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम के पूर्वानुमान की

सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। चेतावनी और प्रसार प्रणालियों में सुधार के लिए पूर्वानुमान एजेंसियां जोर-शोर से प्रयास कर रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों/किसानों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों ने आपदा प्रबंधन प्रथाओं, तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना शासन की एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 1)

प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का भारत में अपना दुःखद इतिहास रहा है। पिछले कुछ दशकों में चिंताजनक जलवायु परिवर्तन के साथ देश ने बिहार कश्मीर और उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों और मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में बाढ़ जैसी कई आपदाएं और हिंद महासागर सुनामी, गुजरात भूकंप, ओडिशा सुपर साइक्लोन आदि आपदाएं देखी हैं। अतः एनडीआरएफ जैसे समर्पित बल की आवश्यकता महसूस की गई और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इसे स्थापित गया है। समिति ने वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की उपलब्धियों पर ध्यान दिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने काफी प्रशंसनीय रूप से पेशेवर विशेषज्ञता और अपेक्षित समर्पण के साथ अपने संचालन के दौरान न केवल असंख्य मानव जीवन को बचाया और विपत्ति से निकाला है, बल्कि पशुधन को भी बचाया है। समिति को यह बताया गया है कि एनडीआरएफ की स्थापना के समय सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं और इसलिए एनडीआरएफ को 100% प्रतिनियुक्तिवादी बल के रूप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से 7 वर्ष के लिए कार्मिकों को लेकर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य इसे एक युवा बल के रूप में बनाए रखना था। इसके अलावा शारीरिक सतर्कता के चरम पर होने के नाते युवा बल प्रकृति में गतिशील होता है क्योंकि इस आयु में अधिकांश कौशल प्राप्त किए जाते हैं और नई चुनौतियों से परिचय होता है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि यद्यपि 100% प्रतिनियुक्तिवादी बल की अवधारणा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त है तथापि एनडीआरएफ में प्रचालनात्मक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अन्य संगठनों के उपयुक्त रूप से स्वस्थ और प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी को भी शामिल करने के लिए इसकी समीक्षा की जाए । यथानिर्धारित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को जारी रखा जाए। चूंकि भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है. इसलिए इससे देश में युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी।

सरकार का उत्तर

एनडीआरएफ शत-प्रतिशत प्रतिनियुक्ति बल है और इस प्रकार विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस संगठनों के कार्मिकों को एनडीआरएफ में सात साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात

किया जाता है ताकि बल में युवा प्रोफ़ाइल को बनाए रखा जा सके, क्योंकि दीर्घावधि बचाव संबंधी कार्यों के लिए युवा और ऊर्जावान कार्मिकों की आवश्यकता होती है। एनडीआरएफ में अन्य संगठनों, विशेष रूप से एनसीसी से प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी के संबंध में, यह कहना है कि एनडीआरएफ में केवल सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति की अनुमति है जबकि एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है। ऐसे में एनसीसी कैडेटों को एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर लेना व्यावहार्य नहीं होगा। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एनडीआरएफ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) से 8266 प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया है और आपदा और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान जब भी आवश्यक हो, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए एनडीआरएफ में उनका डेटाबेस तैयार करके रखा गया है।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 9 देखें)

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 13)

समिति ने नोट किया है कि विशेष रूप से, पीडित महिलाओं के लिए बचाव और राहत कार्यों के लिए सभी सीएपीएफ से अनुरोध किया गया है कि वे एनडीआरएफ के कार्मिकों की संख्या में प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कार्मिक प्रदान करें। हालांकि, अभी तक ऐसे 170 कर्मी ही एनडीआरएफ में शामिल हुए हैं। समिति एनडीआरएफ में महिला कार्मिकों की भागीदारी के विचार की सराहना करती है। वे यह जानना चाहेंगे कि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कर्मियों की संख्या कैसे तय की गई है। समिति का यह भी विचार है कि महिला खिलाड़ियों और एनसीसी की वरिष्ठ महिला कैडेटों, जो शारीरिक रूप से फिट हैं और एनडीआरएफ की पूर्व शर्तों को पूरा करती हैं, को शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है ताकि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में पर्याप्त महिला कार्मिकों की उपस्थिति एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित की जा सके।

सरकार का उत्तर

एनडीआरएफ में कोई भी महिला इकाई अधिकृत/गठित नहीं है। हालांकि, सभी सीएपीएफ से अनुरोध किया गया है कि वे महिला पीड़ितों हेतु बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ में कांस्टेबल (जीडी)/पुरुष कार्मिकों के प्राधिकार के भीतर प्रत्येक एनडीआरएफ इकाई के लिए 108 महिला कार्मिकों का नामांकन भेजें।

प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में 06 कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी में 03 टीमें हैं, सभी सीएपीएफ से एनडीआरएफ बटालियन में 1149 पदों के प्राधिकार हेतु एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन में महिला टीम रखने का अनुरोध किया गया था ताकि, एनडीआरएफ की सभी कंपनियों में महिला दल की सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

इंस्पेक्टर (जीडी) / सब इंस्पेक्टर (जीडी)	06 (01 प्रति कंपनी)
हेड कांस्टेबल (जीडी)	18 (03 प्रति कंपनी)
कांस्टेबल (जीडी)	84 (12 प्रति कंपनी)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 9 देखें)

अध्याय पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 2)

समिति को यह जानकर खुशी हो रही है कि एनडीआरएफ के माध्यम से सरकार ने एक बहु-विषयक, बहु-कुशल उच्च तकनीकी, स्टैंडअलोन बल का गठन किया है जो सभी प्रकार की आपदाओं और आपदा जैसी स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और आपदाओं के प्रभावों को कम करने में सक्षम है। इस संबंध में समिति नोट किया है कि आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति- 2009 में समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए एनडीआरएफ को भी अधिदेशित किया गया है। यह बल राज्य पुलिस होमगार्ड नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवाओं एनसीसी कैडेटों, गैर सरकारी संगठनों एनवाईकेएस छात्रों, स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम में लगातार लगा हुआ है। ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम तब आयोजित किए जाते है जब एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया या राहत कार्यों में संलग्न नहीं होता है। बीएमटीपीसी द्वारा तैयार की गई सुभेद्यता एटलस के अनुसार जिलों की सुभेद्यता प्रोफाइल के आधार पर एनडीआरएफ इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर कार्य किया जा रहा है/प्राथमिकता दी जा रही है। तदनुसार, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदेशक बोर्ड द्वारा फील्ड संरचनाओं के अनुभवी अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि एनडीआरएफ कर्मियों और अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर के साथ विलय करके एनडीआरएफ अकादमी के निर्माण को मंजूरी दी थी। वर्तमान में यह अकादमी नागपुर के सिविल लाइंस स्थित पूर्ववर्ती एनसीडीसी परिसर में चलाई जा रही है। अकादमी के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजना को कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर मंजूरी दी गई है, 153 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है और 2020 में परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति को आशा है कि एक पूर्ण निर्माण अनुसूची, निधियों के आबंटन और उपयोग के ब्यौरे और नई अकादमी निर्माण परियोजना के पूरा होने की तारीख नियत कर ली गई है और यह इच्छा व्यक्त की गई है कि यह उन्हें प्रदान की जाए। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे

कि परियोजना निर्धारित समय में और लागत अनुसूची के भीतर पूरी हो जाए। समिति चाहती है की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हे अवगत कराया जाये।

सरकार का उत्तर

अधिदेश के अनुसार, एनडीआरएफ लगातार समुदाय और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बनाने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) के साथ विलय के बाद वर्ष 2018 में एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना की गई थी।

एनडीआरएफ अकादमी की प्रशिक्षण अवसंरचना का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और नागपुर, महाराष्ट्र में 153.278 एकड़ भूमि पर नया अकादमी परिसर बन रहा है। नई अकादमी भवन परियोजना के पूरा होने की तिथि मार्च, 2023 है। निर्माण अनुसूची का पूरा विवरण **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

निधि आवंटन और उपयोग संबंधी विवरण:-

आवंटन:

₹125.01 करोड़ की अनुमानित लागत से एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ₹85.16 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का विकास।
- ₹18.61 करोड़ की लागत से भूमि।
- ₹13.05 करोड़ की लागत से विशेष उपकरण, आईटी, वाहन और कपड़ों का प्रावधान।
- ₹8.19 करोड़ की लागत से 110 पदों के लिए आवर्ती व्यय।

उपयोग:

दिनांक 31.8.2022 की स्थिति के अनुसार, ₹36.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 12 देखें)

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 5)

समिति नोट करती है कि 1272.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 11 बटालियन, 10 टीम स्थानों और एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी गई है। हालांकि, स्थानीय निकाय द्वारा भूमि आवंटन / अधिग्रहण और निकासी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय अन्य स्थानीय मुद्दों, कोविड 19 महामारी प्रभाव और राज्य सरकार द्वारा भूमि परिवर्तन के कारण असम और कृष्णा में बटालियनों के मामले में कई कारणों से बुनियादी ढांचे के विकास में कथित तौर पर देरी हुई है। बहरहाल, अब छह बीएन स्थानों पर बुनियादी ढांचा अर्थात कोलकाता, मुंडाली, अरक्कोनम, पुणे वडोदरा और कृष्णा और सिलीगुड़ी, कोलकाता, द्वारका, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और बालासोर में छह टीम स्थानों को पूरा कर लिया गया है। अन्य बटालियन लुधियाना, गाजियाबाद ,पटना और देहरादून, किशनगढ़ और सुपौल में टीम के स्थान कथित तौर पर पूरा होने के करीब हैं और 2021-22 तक पूरा हो जाएगा। समिति को उम्मीद है कि देरी के कारण कोई बड़ी लागत वृद्धि नहीं हुई है और वह कार्रवाई के चरण में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहेगी। समिति आगे चाहती है कि पूरी की गई सुविधाओं का बटालियनों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाए। हालांकि, कुछ मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। गुवाहाटी में एक मामले में, समिति को सूचित किया गया था कि 1 बटालियन के लिए आवंटित भूमि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यदि राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाती है, तो काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। समिति यह जानकर हैरान है कि मंत्रालय ने मार्च 2024 तक काम पूरा करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध किया है, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी तरह, गांधीनगर 06 बटालियन में आरआरसी/ टीम स्थान के लिए, एक पीएसयू के चयन के लिए अनुमोदन एमएचए के पास लंबित है, जिसको पूरा करने की तिथि 31.03.2023 के लिए पहले ही तय की जा चुकी है। इसलिए समिति इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति जानने की इच्छा रखती है और उनके पूरा न होने की स्थिति में सुझाव देती है कि उपरोक्त बटालियनों के बुनियादी ढांचे के काम को पूरा करने की तारीख को अंतिम रूप देने से पहले, एनडीआरएफ मामले को असम सरकार और गृह मंत्रालय के समक्ष पहले जल्द समाधान के लिए उच्चतम स्तर पर उठाए और फिर उन्हें पूरा करने के लिए किसी वास्तविक तारीख को अंतिम रूप दें। इन प्रयासों के परिणाम से की गई कार्रवाई के स्तर पर अवगत कराया जाए। 10 शहरों में आरआरसी/टीम स्थानों के संबंध में समिति को

31.3.2022 तक 7 स्थानों पर पूरा होने की संभावना के बारे में सूचित किया गया था। समिति इसकी प्रगति से भी अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.10.2021 को वित्त मंत्रालय के परामर्श से, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए चल रही उप-योजनाओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, जारी रखने के लिए ईएफसी की मंजूरी की सूचना दी है।

12 एनडीआरएफ बटालियन और एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में से सातवीं एनडीआरएफ बटालियन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है यानी हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल) में द्वितीय एनडीआरएफ बटालियन, मुंडाली में एनडीआरएफ की तीसरी बटालियन, अरक्कोणम में एनडीआरएफ की चौथी बटालियन, पुणे (महाराष्ट्र) में एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन, वडोदरा (गुजरात) में एनडीआरएफ की छठी बटालियन, गाजियाबाद (यूपी) में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का कार्यालय भवन, कृष्णा (आंध्रप्रदेश) में एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन। शेष एनडीआरएफ बटालियन और एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर में निर्माण कार्य अभी बाकी है। बाकी स्थानों पर निर्माण कार्य की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:-

i. लुधियाना में 7वीं बटालियन एनडीआरएफ- 87%.
ii. गाजियाबाद में 8वीं बटालियन एनडीआरएफ - 51%.
iii. पटना में 9वीं बटालियन एनडीआरएफ - 64%.
iv. होलोंगी (अरूणाचल प्रदेश) में 12वीं बटालियन एनडीआरएफ- 17%.
v. नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी: - 38% (31.03.2023 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा).
vi. असम राज्य में पहली बटालियन एनडीआरएफ: - भूमि की समस्या के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

टीम के 10 अनुमोदित स्थानों में से 07 टीम स्थानों यानी सिलीगुड़ी, कोलकाता, बालासोर, किशनगढ़, द्वारका (नई दिल्ली) बैंगलोर और विशाखापत्तनम में काम पूरा हो गया है। निम्नलिखित टीम स्थानों पर कार्य प्रगति पर है: -

(i) एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के तहत देहरादून-88% (वर्तमान वित्त वर्ष में काम पूरा हो जाएगा)।
(ii) एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के तहत सुपौल-58% (वर्तमान वित्त वर्ष में काम पूरा हो जाएगा)।

(iii) गांधीनगर- कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए हाल ही में 12.04.2022 को एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

असम में पहली बटालियन एनडीआरएफ (भूमि आवंटन का मुद्दा): - भूमि समस्या के कारण पहली बटालियन, एनडीआरएफ पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। गुवाहाटी में एनडीआरएफ बटालियन के लिए वैकल्पिक जमीन के शीघ्र आवंटन के लिए एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय ने इस मामले को असम की राज्य सरकार के सामने जोरदार तरीके से उठाया है। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिनांक 04.02.2021 को वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्य सचिव, असम के साथ बैठक की गई। तदनुसार, यह परिकल्पना की गई थी कि यदि राज्य सरकार भूमि प्रदान करती है तो मार्च 2024 तक काम पूरा कर लिया जाएगा।

इस बीच, राज्य सरकार ने 02 वैकल्पिक भूमि की पहचान की लेकिन वह उपयुक्त नहीं पाई गई। इसके बाद, भूमि मुद्दे पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने 06.07.2021 को असम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ फिर से अनुवर्ती बैठक की।

तत्पश्चात, राज्य सरकार द्वारा ग्राम-माजीरगाँव, अज़रा सर्कल में 75 बीघा (लगभग 25 एकड़) ग्रामीण चारागाह रिजर्व (वीजीआर) भूमि की पहचान की गई, जिसे एनडीआरएफ द्वारा उपयुक्त पाया गया। असम राज्य सरकार ने उक्त भूमि को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने के लिए मूल अनुमोदन प्रदान कर दिया था लेकिन फिर, स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याओं के कारण, यह फलीभूत नहीं हुआ।

फिर से, केंद्रीय गृह सचिव ने अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से एनडीआरएफ बटालियन के लिए गुवाहाटी में पर्याप्त और उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव, असम सरकार से अनुरोध किया।

अब, एनडीआरएफ ने हाजो अंचल कार्यालय, कामरूप (ग्रामीण) के अंतर्गत सनापारा पर्बत में 530 बीघा 2 कट्ठा 5 लीचा की सरकारी राजस्व भूमि के एक टुकड़े की पहचान की है। तदनुसार दिनांक 12.07.2022 को एनडीआरएफ द्वारा डीसी कामरूप (ग्रामीण) को भूमि विवरण और निर्देशांक के साथ उपरोक्त भूमि के आवंटन का मामला भेजा गया है। जवाब में, डीसी कामरूप (ग्रामीण) ने इस मामले को आयुक्त और सचिव, असम सरकार को प्रस्तुत किया है। यह मामला प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन के बाद यदि आवश्यकता हो, तो बटालियन अवसंरचना का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समयसीमा में संशोधन किया जाएगा।

टीम लोकेशन गांधीनगर में निर्माण कार्य के लिए पीएसयू का चयन: - इससे पहले, वर्ष 2021 के दौरान, एनडीआरएफ ने अनौपचारिक टिप्पण दिनांक 04.03.2021 के माध्यम से जीएफआर के अनुसार ऑनलाइन बोली औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गृह मंत्रालय से यह कार्य मैसर्स एचएससीएल को देने का अनुरोध किया था। लेकिन, निविदा की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण, यह निर्णय लिया गया कि एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन के टीम लोकेशन गांधीनगर में अवसंरचना निर्माण के लिए फिर से निविदा दी जाए। तदनुसार, पुन: निविदा की प्रक्रिया की गई, जो अब पूरी हो चुकी है और तदनुसार, यह कार्य पीएसयू अर्थात सीएंडडीएस, उ.प्र.जल निगम, नोएडा को सौंप दिया गया है। दिनांक 12.04.2022 को एनडीआरएफ ने पीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिया है और यह कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक पूरा होना है।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 15 देखें)

<u>टिप्पणी/सिफारिश (पैरा सं. 9)</u>

समिति ने नोट किया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए आयोजना समन्वय और कार्यान्वयन और जिलों में सभी उपाय करने के लिए निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। सभी जिलों में डीडीएमए का गठन किया गया है। समिति ने आगे नोट किया कि अब तक 25 राज्यों के 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 7000 सामुदायिक वॉलंटियरों को 'आपदा मित्र योजना' के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करने का इरादा है और यह महसूस किया गया है कि पहाड़ी जिलों में अन्य आपदा प्रवण क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। जहां भूस्खलन बादल फटने की घटनाओं, भूकंप आदि में तेजी आ रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 में यह अधिदेश दिया गया है कि राज्य का प्रत्येक जिला अपनी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करेगा। इसमें जिले के विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं और किसी जिले का डीएमपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाना है। अब तक देश के 732 जिलों में से 673 जिलों ने अपना डीएमपी तैयार किया है। एनडीएमए द्वारा विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके डीएमपी तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना है। समिति की इच्छा है कि शेष 59 जिलों के डीएमपी को भी

समयबद्ध तरीके से तैयार करने और शीघ्र तात्कालिक रूप से अनुमोदित करने की आवश्यकता है। उन्हें इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एनडीएमए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपदाओं के बारे में जागरूकता ला रहा है। तथापि, समिति का विचार है कि आपदा शिक्षा में राज्यों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जिले में रहने वाले सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों, उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित वरिष्ठ एनसीसी कैडेटों की सहायता से देश के आपदा प्रवण जिलों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित किए जा सकते हैं और शिविर लगाए जा सकते हैं ताकि प्रशिक्षित नागरिक किसी भी आपदा के समय प्रथम राहतकर्मियों के रूप में कार्य कर सकें। समिति का यह भी मत है कि बीएसएफ और एसएसबी को किसी आपदा के दौरान जरूरत महसूस होने पर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन उपायों पर विचार करे और उन्हें इस पर की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

(क). **आपदा मित्र**: यह कहना है कि आपदा मित्र पायलट योजना के अंतर्गत, 6000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य की तुलना में 5513 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान अद्यतित आपदा मित्र योजना के अंतर्गत, अब तक 1 लाख के लक्ष्य की तुलना में लगभग 14710 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अद्यतित आपदा मित्र योजना का कार्यान्वयन भारत में पहाड़ी क्षेत्रों सहित 350 जिलों में किया जा रहा है। इन जिलों की पहचान भू-स्खलन, भूकम्प, बाढ़ और चक्रवातों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर की गई है।

(ख). **आपदा प्रबंधन योजना**: समिति की अनुशंसाएं नोट कर ली गई हैं। जिन राज्यों में शेष 59 जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाएं (डीएमपी) तैयार की जानी हैं, उनसे, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन संबंधित दिशानिर्देर्शों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अपने डीएमपी तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा।

(ग). **जिला स्तरीय अभ्यास**: दिनांक 30 जून, 2020 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने देश की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की और उसके बाद यह निर्देश दिया कि देश के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार अभ्यास किया जाए:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर जिला आपदा प्रतिक्रिया के लिए फील्ड प्रशिक्षित टीमों का गठन कर सके।

(ख) प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजना और इसकी तैयारियों की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए।

(ग) विभिन्न हितधारकों में और उनके बीच बेहतर समझ और समन्वय लाने के लिए।

किसी राज्य के अभ्यास के दिन, संबंधित जिले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अग्निशमन और आपात सेवाएं (एफएंडईएस) उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले विद्यालय में भी जाएंगे और जिले में पहले से चिन्हित 10 से 20 विद्यालयों में मॉक ड्रील करेंगे।

निर्देशानुसार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर मॉक अभ्यास करने का कार्य सौंपा गया है। प्रशिक्षण निम्न तालिका के अनुसार चरणबद्ध रूप से दिया जा रहा है:

फेज	वित्त वर्ष	कवर किए गए जिले
फेज-I	2020-21	98
फेज-II	2021-22	239
फेज-III	2022-23	सभी 298 जिलों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय एमई का वार्षिक कैलेंडर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22(2) (त) और 30 (2) (xxviii) के अनुसार, राज्य/जिला प्राधिकारी समय-समय पर जिला प्रबंधन ड्रिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। किंतु, एनडीएमए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों, जिला प्रशासनों, संबंधित विभाग, सामुदायिक स्वयंसेवकों और ईडब्ल्यू एजेंसियों, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ जैसी केन्द्रीय एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रोफाइल के आधार पर आपदा परिस्थिति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बहु-राज्यीय मॉक अभ्यास करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। वर्ष 2021-22 में, एनडीएमए ने 02 वास्तविक मॉक अभ्यासों सहित 21 ऐसे ऑनलाइन टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) का समन्वय और संचालन किया।

इस पैरा में की गई सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। हालाँकि बीएसएफ और एसएसबी सहित सभी सीएपीएफ आवश्यकतानुसार किसी भी आपदा में तत्काल मोचन कार्य करते हैं और एनडीआरएफ की बटालियनों/टीमों को अपेक्षानुसार सभी आवश्यक समर्थन/सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह भी संज्ञान में लाना है कि एसएसबी ने अपने प्रचालन क्षेत्र में आपदा की स्थितियों के दौरान बचाव और राहत कार्य चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर राज्यों में 18 बचाव और राहत टीमों (आरआरटी) का गठन करके कार्य किया है। इसके अलावा एसएसबी अपने एओआर में सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का संचालन कर रही है। इसके अलावा आईटीबीपी द्वारा भी आपदाओं में मोचन हेतु क्षेत्रीय मोचन केंद्रों की स्थापना की गई है।

भारत सरकार किसी आपदा की स्थिति में मोचन, राहत और बचाव उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की सहायता करने और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 21 देखें)

नई दिल्ली; **गिरीश भालचन्द्र बापट**

16 मार्च, 2023 **सभापति,**

25 फाल्गुन, 1944 (शक) **प्राक्कलन समिति**

अनुबंध - 'क'

एनडीआरएफ अकादमी नागपुर की भवन-वार पूर्णता योजना

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूरा किए जाने की लक्षित तिथि	इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार पूरा करने की नई लक्षित तिथि
1	कार्यालय भवन	23.05.2022	31.03.2023
2	180 पुरुष क्षमता वाली बैरक (1 अदद)	30.11.2022	
3	प्रशिक्षु अधिकारी छात्रावास और अधिकारी मेस	12.07.2022	
4			
5	एसओ मेस	24.06.2022	
6	एमटी गैरेज वर्कशॉप	08.05.2022	
7	एफडब्ल्यूसी सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	26.04.2022	
8	प्रशिक्षण ब्लॉक :-	26.05.2022	
	i. तरणताल और गोताखोरी के लिए डाइविंग टैंक जल उपचार संयंत्र के साथ तरणताल		
	ii. ड्रिल शेड		
	iii. गगनचुम्बी इमारत के साथ बेसिक रब्बल फील्ड सहित यूएसएआर रेसक्यू टावर		
	iv. विशिष्ट बाह्य विकास (रिटेनिंग वॉल, ढलान वाली जगह के कारण कटिंग और फिलिंग)		
	v. प्रशिक्षण ब्लॉक		
	vi. क्यूएम स्टोर		
	vii. एमआई रूम		
	viii. व्यायामशाला सह इनडोर खेल परिसर		

	ix. 30 अदद डॉग कैनेल		
	x. सभागार		
	xi. वॉलीबॉल कोर्ट		
	xii. बास्केटबॉल कोर्ट		
9	टाइप- II क्वार्टर (48 अदद)	20.12.2022	
10	टाइप- III क्वार्टर (24 अदद)	19.11.2022	
11	टाइप- IV क्वार्टर (12 अदद)	07.11.2022	
12	टाइप-V क्वार्टर (4 अदद)	01.11.2022	
13	टाइप-VI क्वार्टर (1 अदद)	10.10.2022	

प्राक्कलन समिति (2022-23) की सोलहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक कक्ष संख्या '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पी. पी. चौधरी
5. डॉ. संजय जायसवाल
6. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
7. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
8. डॉ.के.सी.पटेल
9. श्री राजीव प्रताप रुडी
10. श्री विनायक भाऊराव राऊत
11. श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री अशोक कुमार रावत
13. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
14. श्री जुगल किशोर शर्मा
15. श्री प्रताप सिम्हा
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया
18. श्रीमति संगीता कुमारी सिंह देव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता भट्ट पंडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री आर. सी. शर्मा	-	अपर निदेशक

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के एजेंडे अर्थात तीन प्रारूप रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर विचार करना और उन्हें अपनाना, के बारे में जानकारी दी। ।

3. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें अपनाने का कार्य शुरू किया:

(i) xxx xxx

(ii) xxx xxx

(iii) 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की समीक्षा' विषय पर समिति की 13वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

4. समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के मसौदे को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

5. xxx xxx

तत्पश्चात कमेटी की बैठक स्थगित हो गई।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

परिशिष्ट दो

प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोकसभा)

(i)	सिफारिशों/टिप्पणियों की कुल संख्या	15
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (क्र. सं. 3,4,6,7,8,10,11,12,14,15)	10
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	66.66%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: शून्य	00
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	शून्य
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं: (क्र. सं. 1,13)	02
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	13.33%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: (क्र. सं. 2,5,9)	03
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	20%